परिपत्र संख्या- स0द0/2022-23/13488/कम्प्यूटर परि0सं0/ 222307) /राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल- अनुभाग)
लखनऊ:: दिनॉक:: 31 जनवरी, 2023

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1
अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:: प्रदेश में बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपदों से आयरन स्टील एवं स्क्रैप के बिना ई-वे बिल के वाहनों का अवैध परिवहन होने के सम्बन्ध में।

प्रान्त बाहर से आयरन स्टील एवं स्क्रैप के वाहनों का उत्तर प्रदेश प्रान्त के अन्दर बिना ई-वे बिल के प्रवेश होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त हो रही है। यह प्रवेश प्राय: बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपदों से हो रहा है। यह स्थिति यदि सही है तो कदापि उचित नहीं है। अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर का यह दायित्व होगा कि इस प्रकार के परिवहन को किसी भी दशा में संचालित न होने दिया जाए तथा ऐसे प्रकरणों की नियमित रुप से अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर समीक्षा करते हुए समुचित दिशा-निर्देश जारी कर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति पर विराम लगवाना सुनिश्चित करें। ऐसे प्रकरणों की मुख्यालय स्तर से नियमित समीक्षा की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रकाश में लाए गये ऐसे मामलों की पाक्षिक सूचना निम्न निर्धारित प्रारुप में सचलदल अनुभाग मुख्यालय के ई-मेल ctcphqlu-up@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारुप

जोन का नाम.................... दिनॉक:.............. से..............तक

क्रम सं0	आयरन स्टील/स्क्रैप के जांच किए गए कुल वाहन	बिना ई-वे बिल के पाए गए दोषी वाहन	ई-वे बिल के पुनर्प्रयोग करते हुए पाए गये दोषी वाहन	कुल दोषी मामलों में अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमा अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5	6

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

31/01/23
(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।